

Form-III
फर्द अहकाम

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।


श्री अरुण कुमार पिता त्रम्बकलाल
जाति ब्राह्मण वगैरह निवासी जौलाना
तहसील अस्थूना जिला बांसवाड़ा

बनाम

श्री रमणलाल पिता मंगजी जाति
पाटीदार वगैरह निवासी जौलाना
तहसील अस्थूना जिला बांसवाड़ा

किरम मुकदमा:- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

प्रकरण संख्या: 116/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
30.12.2024	<p>प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थीगण श्री अरुण कुमार पिता त्रम्बकलाल जाति ब्राह्मण वगैरह निवासी जौलाना तहसील अस्थूना जिला बांसवाड़ा द्वारा अप्रार्थीगण श्री रमणलाल पिता मंगजी जाति पाटीदार वगैरह निवासी जौलाना तहसील अस्थूना जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.1.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गढ़ी</p>	
21.1.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण की और से प्रार्थना-पत्र पेश कर वक्तानामा पेश करने हेतु सम्मन था। 10. साहब अन्य राजकार्य के लिये। पत्रावली वरन्ते अन्तिम कार्यवाही दिनांक 18.2.25 को पेश हो।</p>	
18.2.25	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वरन्ते अप्रार्थीगण की उपस्थिति व वक्तानामा पेश होने दिनांक 19.2.25 को पेश हो।</p>	
19.2.25	<p>पत्रावली पेश हुई। शर्षी व उनके अभिभाषक उपस्थित। शर्षी अभिभाषक द्वारा सकरण में कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन करते हुए सकरण Not Pass</p>	<p style="text-align: center;">  Not Pass रमणलाल 21.1.25 21.1.25 </p>

मज
विभागा निवाला मालका अं कायिवाही
विभागा पर क्रोच की आ कर पसानी
केवाग सुमार कर दाखिल दफतर हो

उपखण्ड अधिकारी
गद्दी, जिला बाँसगाड़ा